रजिस्ट्री सं० डीएल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 102] नई दिल्ली, बुधवार, जून 4, 1997/ज्येष्ठ 14, 1919
No. 102] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 4, 1997/JYAISTHA 14, 1919

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून,1997

राजकोषीय हुंडियां (रूपान्तरण) विशेष प्रतिभूतियों के एवज़ में 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2007 (तीसरा निर्गम) जारी करना

एफ. सं. 4(7)-डब्ल्यू. एण्ड एम./97.—भारत सरकार एतद्द्वारा राजकोषीय हुंडियां (रूपान्तरण) विशेष प्रतिभूतियों के एवज़ में 5,000करोड़ रुपए (नामिनल) की राशि के लिए 13.05 प्रतिशत सरकारी स्टाक, 2007(तीसरा निर्गम) की बिक्री अधिसूचित करती है।

2. निवेश की पात्रता :

(i) केवल भारतीय रिज़र्व बैंक ही (इसके बाद "बैंक " के रूप में उल्लिखित) सरकारी स्टाक में अभिदान के लिए पात्र होगा। बैंक के अतिरिक्त किसी बैंक, कंपनी, निगम अथवा किसी अन्य निकाय सहित कोई भी व्यक्ति सरकारी स्टाक में अभिदान करने के लिए पात्र नहीं होगा

(ii) सरकारी स्टाक के निर्गम की विधि : सरकारी स्टाक बैंक को 1987 में निर्गमित एवं इसके द्वारा धारित राजकोषीय हुंडियां विशेष प्रतिभूतियों के शोधन मूल्य की समतुल्य राशि के एवज़ में जारी की जाएगी।

3. निर्गम मूल्य

सरकारी स्टाक का निर्गम मूल्य प्रत्येक 10,000 रुपए (नामिनल) के लिए 10,000 रुपया होगा।

4. सरकारी स्टाक के निर्गम की तिथि

सरकारी स्टाक के निर्गम की तिथि इस अधिसूचना की तिथि अर्थात् 3 जून, 1997 होगी।

5. प्रतिभूति का स्वरूप

सरकारी स्टाक, स्टाक प्रमाणपत्र के रूप में जारी की जाएगी अथवा धारक के बैंक के लोक ऋण कार्यालयों के सहायक सामान्य बही खाते में जमा की जाएगी।

6. ब्याज

(i) सरकारी स्टाक पर 13.05 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा। सरकारी स्टाक पर ब्याज का भुगतान 3 जून, 1997 से किया जाएगा। 3 जून, 1997 से 21 अक्तूबर, 1997 (21 अक्तूबर, 1997 को शामिल करके) तक की अवधि के ब्याज का भुगतान 22 अक्तूबर, 1997 और उसके पश्चात् ब्याज का भुगतान 22 अप्रैल, तथा 22 अक्तूबर को अर्द्ध-वार्षिक रूप से किया जाएगा। ब्याज का भुगतान बैंक के अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, कलकत्ता, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरूअन्तपुरम स्थित लोक ऋण कार्यालयों, लोक ऋण कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले सरकारी राजकोषीय लेन-देन संचालित करने वाली भारतीय स्टेट बैंक एवं इसके सम्बद्ध बैंकों की शाखाओं तथा जम्मू एवं कश्मीर तथा सिक्किम को छोड़कर उन सभी राज्यों में जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय अथवा भारतीय स्टेट बैंक अथवा इसके सम्बद्ध बैंकों की कोई शाखा नहीं है, लोक ऋण कार्यालय का कार्य करने वाले किसी भी राजकोष अथवा उप-राजकोष में किया जाएगा।

(ii) ब्याज का भुगतान ब्याज राशि को निकटतम रुपए में पूर्णांकित करने के बाद किया जाएगा। इस प्रयोजन हेतु पचास पैसे से कम ब्याज की राशि को नजर अन्दाज कर दिया जाएगा तथा पचास पैसे अथवा अधिक को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जाएगा।

7. वापसी-अदायगी की तारीख

सरकारी स्टाक की वापसी-अदायगी 22 अप्रैल, 2007 को सममूल्य पर भारतीय रिजर्व बैंक के उस लोक ऋण कार्यालय में की जाएगी, जहां वे वापसी अदायगी के समय पंजीकृत हैं।

8. सरकारी स्टाक की हस्तांतरणीयता

(i) इस अधिसूचना के पैरा 5 के उपबंधों के अधीन सरकारी स्टाक को लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा उसके अधीन बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 1946 के अन्तर्गत नवीकृत, उप-विभाजित, समेकित, रूपांतरित और अंतरित किया जा सकता है।

(ii) उपर्युक्त पैरा 2 में घोषित किए जाने के बावजूद बैंक द्वारा सरकारी स्टाक का बैंकों, निगम अथवा अन्य किसी निकाय सहित किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में अंतरण किए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा और ऐसी प्रतिभूति का अंतरिती इसे धारित करने और इसी प्रक्रिया में इसका अंतरण करने के लिए पात्र होगा।

9. सांविधिक उपबंध

ऐसे किसी भी मामले के संबंध में, जिनका प्रावधान इस अधिसूचना के अन्तर्गत नहीं किया गया है, सरकारी स्टाक लोक ऋण अधिनियम, 1944 तथा उसके अधीन बनाई गई लोक ऋण नियमावली, 1946 के अनुसार अधिशासित होंगे।

10. कर कानूनों की प्रयोज्यता

सरकारी स्टाक में निवेश का मूल्य तथा उस पर देय ब्याज समय-समय पर प्रयोज्य कर-कानूनों के उपबंधों के अनुसार अधिशासित होगा।

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से

जे. एस. माथुर, अपर सचिव (बजट)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1997

Issue of 13.05 per cent Government Stock, 2007 (Third Issue) against Treasury Bills (Conversion) Special Securities.

No. F. 4(7)-W. & M./97.—Government of India hereby notifies the sale of 13.05 per cent Government Stock, 2007 (Third Issue) against Treasury Bills (Conversion) Special Securities for Rs. 5,000 crore (Nominal).

2. Eligibility for investment :

(i) Only the Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') shall be eligible to subscribe to the Government Stock. No person including any bank, company, corporation or any other body except the Bank shall be eligible to subscribe to the Government Stock.

(ii) Mode of issue of the Government Stock : The Government Stock shall be issued to the Bank against the redemption value of an equivalent amount of Treasury Bills Special Securities issued in 1987 and held by it.

3. Issue Price :

The issue price of the Government Stock will be Rs. 10,000 for every Rs. 10,000 (nominal).

4. Date of issue of Government Stock :

The date of issue of Government Stock will be the date of this notification i.e., June 3, 1997.

5. Form of Security :

The Government Stock shall be issued in the form of Stock Certificate or may be held at the credit of the holder in the subsidiary general ledger account maintained by the Public Debt offices of the Bank.

6. Interest :

(i) The Government Stock will bear interest at 13.05 per cent per annum. Interest will be paid on the Government Stock from June 3, 1997. Interest for the period from June 3, 1997 to October 21, 1997 (inclusive) will be paid on October 22, 1997 and thereafter interest will be paid half yearly on April 22 and October 22. Interest will be paid at the public Debt Offices of the Bank at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneshwar, Calcutta, Chennai, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Mumbai, Nagpur, New Delhi, Patna and Thiruvananthapuram at branches of State Bank of India or its Associates conducting Government treasury business within the jurisdiction of Public Debt Office and at any Treasury or Sub-Treasury in India served by the public Debt Office, where there is no office of Reserve Bank of India or branches of State Bank of India or its Associates except the States of Jammu & Kashmir and Sikkim.

(ii) Interest will be paid after rounding off the amount of interest to the nearest rupee. For this purpose, amount of interest less than fifty paise will be ignored and fifty paise or more will be rounded off to the next rupee.

7. Date of Repayment :

The Government Stock will be repaid at par on April 22, 2007 at Public Debt Office of the Reserve Bank of India at which they are registered at the time of repayment.

8. Transferability of Government Stock :

(i) Subject to the provisions of paragraph 5 of this Notification the Government Stock can be renewed, sub-divided, consolidated, converted and transferred in accordance with the provisions of the Public Debt Act, 1944 and Public Debt Rules, 1946, framed thereunder.

(ii) Notwithstanding what is stated in paragraph 2 hereinabove there will be no restriction on the transfer of the Government Stock by the Bank in favour of any other person including banks, corporation or any other body and the transferee of such security would also be entitled to hold and transfer the same in such manner.

9. Statutory Provisions :

With respect to any such matter which has not been provided under this Notification the Government Stock shall be governed by the public Debt Act, 1944 and the public Debt Rules, 1946 framed thereunder.

10. Applicability of Tax Laws :

The value of the investment in Government Stock and the interest payable thereon will be governed by the provisions of tax laws as applicable from time to time.

By Order of the President of India

J. S. MATHUR, Addl. Secy. (Budget)

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1997